

भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1731
मंगलवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

सौर-ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

1731. श्री संजय सिंह: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) सौर ऊर्जा उत्पादन में वर्ष 2030 तक वृद्धि करने हेतु उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऊर्जा विस्तार हेतु संशोधित सौर विनिर्माण निविदा विनिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) विगत तीन वर्षों में आदर्श सौर शहरों की संख्या के साथ-साथ आदर्श सौर शहरों के विस्तार की संभावित संख्या कितनी-कितनी है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

- (क) सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:-
- (i) दिसम्बर, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने के लक्ष्य की घोषणा;
- (ii) दिसम्बर, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर विद्युत के इंटर-स्टेट विक्रय हेतु इंटर-स्टेट पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को हटाना;
- (iii) ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- (iv) वितरण लाइसेंस धारक को किफायती और पारदर्शी तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत की खरीद करने में समर्थ बनाने के लिए मानक बोली प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना;
- (v) वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रेजेक्ट्री की घोषणा;
- (vi) वृहतस्तरीय अक्षय ऊर्जा क्षमता संयोजन के ग्रिड एकीकरण को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;
- (vii) सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली/उपकरण लगाने के लिए गुणवत्ता मानकों की अधिसूचना।
- (viii) प्रधानमंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम-कुसुम), सीपीएसयू (सरकारी उत्पादक) योजना - चरण-II और सौर रूफटॉप चरण-II कार्यक्रम सहित विभिन्न योजनाओं की शुरुआत।
- (ख) उत्पादन सुविधाओं से संबद्ध सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निविदा की मुख्य विशेषताएं अनुलग्नक में दी गई हैं।
- (ग) पिछले तीन वर्षों में मंत्रालय ने किसी भी मॉडल सौर शहर की मंजूरी नहीं दी है।

‘सौर-ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.12.2019 के राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1731 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सेकी द्वारा “वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के अंतर्गत 2 गीगावाट (प्रति वर्ष) के सौर उत्पादन से जुड़े 7 गीगावाट के आईएसटीएस संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए सौर विद्युत डेवलपर्स के चयन” हेतु 13.11.2019 तक बोली प्रस्तुत करने की तिथि के साथ निविदा आमंत्रित की थी।

2. निविदा की मुख्य विशेषताएं – सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के पूरा करने की अवधि 2 वर्ष थी, जबकि सौर पीवी परियोजना पूरा करने की अवधि पैकेज-ए और पैकेज-बी के लिए क्रमशः 5 वर्ष तथा 4 वर्ष निर्धारित की गई थी।

(i) इस बोली प्रक्रिया के लिए एकल चरण में दो लिफाफे की प्रक्रिया के बाद आईएसएन-ईटीएस के ई-निविदा पोर्टल (ईटीएस) पर ई-रिवर्स ऑक्सन बोली प्रक्रिया अपनाई गई।

(ii) पूरी निविदा प्रक्रिया नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 02 (दो) बोली पैकेजों में विभाजित है:-

(क) बोली पैकेज-ए: यह पैकेज केवल सेलों और मॉड्यूलों से संबंधित सौर उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए है। इस पैकेज के तहत 02 (दो) ब्लॉक दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता
1	सेल	500 मेगावाट मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के अनुरूप
2	मॉड्यूल	500 मेगावाट

(ख) बोली पैकेज-बी: यह पैकेज केवल इंग्ट्स और वेफर्स से संबंधित सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए है। इस पैकेज के अंतर्गत 02 (दो) ब्लॉक दिए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	न्यूनतम वार्षिक उत्पादन क्षमता
1	इंग्ट्स	500 मेगावाट मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के अनुरूप
2	वेफर्स	500 मेगावाट मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के अनुरूप

3. प्रतिवर्ष 2 गीगावाट की संचयी वार्षिक सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता दी गई जिसे पैकेज-1 पीपीए की तिथि से अधिकतम 02 (दो) वर्ष की अवधि में स्थापित की जानी थी। इसके लिए सुनिश्चित पीपीए (i) बोली पैकेज-ए के तहत 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के लिए 2000 मेगावाट तक तथा (ii) बोली पैकेज-बी के तहत 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र के लिए 1500 मेगावाट तक एसपीडी दिए जाएंगे। इस प्रकार, 2000 मेगावाट उत्पादन क्षमता के लिए कुल सौर पीवी विद्युत संयंत्र क्षमता 7000 मेगावाट हो जाएगी।

4. बोली पैकेज-ए के तहत, कोई भी बोलीदाता 01 ब्लॉक के अनुरूप 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबद्ध 2000 मेगावाट सौर पीवी परियोजना क्षमता तक उद्भूत कर सकता है। बोली पैकेज-बी के तहत, कोई भी बोलीदाता 01 ब्लॉक के अनुरूप 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबद्ध 1500 मेगावाट सौर पीवी परियोजना क्षमता तक उद्भूत कर सकता है। बोली पैकेज-ए के तहत कुल 02 ब्लॉक (प्रत्येक ब्लॉक में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबद्ध 2000 मेगावाट सौर पीवी परियोजना क्षमता तक शामिल है) तथा बोली पैकेज-बी के तहत कुल 02 ब्लॉक (प्रत्येक ब्लॉक में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता से संबद्ध 1500 मेगावाट सौर पीवी परियोजना क्षमता तक शामिल है) बोली की प्रक्रिया में है। तथापि, कोई भी बोलीदाता सभी 04 ब्लॉकों के लिए बोली करने के लिए स्वतंत्र है।